



**UPSI180001602010**

**न्ययलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur**  
**पैरसेन अधिक्ती- (Sushri Akshita Singh), (उपग्र न्ययिक सेव) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/172/2010  
**Shri Ram Vs. Shiv Giri**

**18-01-2024**

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 46क नियत है।

प्रार्थना पत्र 46क पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 46क-**

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 46क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 21.08.2023 को वादीय अंश पर कब्जा करने का प्रयास किया किन्तु विरोध करने पर प्रतिवादी असफल रहा है। प्रतिवादी ने वादीय भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी है। इस कारण वादी ने विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष संशोधन के माध्यम से वाद-पत्र में बढ़ाये जाने की अनुमति याचित की गयी है। इस प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं है।

प्रस्तुत वाद निरस्तीकरण बैनामा का है। संशोधन के माध्यम से याचित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसके सन्दर्भ में वादी का कथन है कि प्रतिवादी ने दौरान वाद दिनांक 21.08.2023 को वादीय अंश भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी है। ऐसी स्थिति में वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष वाद-पत्र में योजित करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र 46क बाबत संशोधन स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थना पत्र 46क स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा (यदि कोई हो) दिनांक 26.02.2024 को पेश हो।

सिविल जज जू० डि०  
महमूदाबाद, सीतापुर।  
J.O. Code- UP3730

**अजय/स्टेनो**